

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी  
प्रार्थना पत्र संख्या

श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

73/2021

1. श्री बलराज उर्फ बबलू पुत्र श्री नाथूराम जाति कुमावत
2. श्री पानाचन्द उर्फ पवन पुत्र श्री नाथूराम जाति कुमावत

निवासी जसवंतपुरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. श्रीमती तोलीदेवी पत्नि सुरेश
3. श्री टीकूराम पुत्र स्व. धन्नाराम
4. श्री बिरदाराम पुत्र स्व. धन्नाराम

समस्त जाति कुमावत निवासी जसवंतपुरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू 0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरप्रसाद सिंह राठौड - प्रार्थीगण

स्वयं उपस्थित - अप्रार्थी संख्या 2 से 4

-: निर्णय :- दिनांक 02.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू 0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जसवंतपुरा तहसील पीसागंन के आधार जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 के खाता संख्या 110 नया 110 पुराना, खाता संख्या 315 नया 210 पुराना एवं खाता संख्या 210 नया 210 पुराना प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी रही है। आम बोलचाल में प्रार्थीगण को बलराज व बबलू एवं पानाचन्द व पवन दोनो नामो से पुकारते थे इस कारण राजस्व एजेन्सी द्वारा प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी में प्रार्थी का नाम बलराज की जगह बोलता नाम बबलू व पानाचन्द की जगह पवन लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का परिचय पत्र, राशनकार्ड व आधार कार्ड, स्कूल रिकार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में बलराज पुत्र नाथूराम व पानाचन्द पुत्र नाथूराम नाम है। जिसे दुरुस्त फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। सरकार पेरोकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है जिससे सरकार पेरोकार का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालिया जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम जसवंतपुरा तहसील पीसागंन के आधार जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 के खाता संख्या 110 नया 110 पुराना प्रार्थी संख्या 1 का नाम बबलू पुत्र नाथूराम की जगह बलराज उर्फ बबलू पुत्र नाथूराम तथा पवन पुत्र नाथूराम की जगह पवन उर्फ पानाचन्द पुत्र नाथूराम, खाता संख्या 315 नया 210 पुराना एवं खाता संख्या 210 नया 210 पुराना में प्रार्थी संख्या 2 का नाम पवन उर्फ पाना पुत्र नाथूराम की जगह पवन उर्फ पानाचन्द पुत्र नाथूराम का अंकन किया जावे। शेष यथावत।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पीसागंन तहसील अधिकारी  
पदेन सी.एस.एम.कलक्टर  
पीसागंन

पीठासीन अधिकारी  
प्रार्थना पत्र संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

73/2021

1. श्री बलराज उर्फ बबलू पुत्र श्री नाथूराम जाति कुमावत
2. श्री पानाचन्द उर्फ पवन पुत्र श्री नाथूराम जाति कुमावत  
निवासी जसवंतपुरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. श्रीमती तोलीदेवी पत्नि सुरेश
3. श्री टीकूराम पुत्र स्व. धन्नाराम
4. श्री बिरदाराम पुत्र स्व. धन्नाराम  
समस्त जाति कुमावत निवासी जसवंतपुरा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरप्रसाद सिंह राठौड - अभि0प्रार्थीगण  
स्वयं उपस्थित - अप्रार्थी संख्या 2 से 4

-: डिकी :- दिनांक 02.03.2021

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन श्री पुष्पेन्द्र सोनी श्री सर्वेश्वरप्रसाद सिंह राठौड अभिभाषक प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2 से 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम जसवंतपुरा तहसील पीसागंन के आधार जमाबंदी सवंत 2069 से 2072 के खाता संख्या 110 नया 110 पुराना प्रार्थी संख्या 1 का नाम बबलू पुत्र नाथूराम की जगह बलराज उर्फ बबलू पुत्र नाथूराम तथा पवन पुत्र नाथूराम की जगह पवन उर्फ पानाचन्द पुत्र नाथूराम, खाता संख्या 315 नया 210 पुराना एवं खाता संख्या 210 नया 210 पुराना में प्रार्थी संख्या 2 का नाम पवन उर्फ पाना पुत्र नाथूराम की जगह पवन उर्फ पानाचन्द पुत्र नाथूराम का अंकन किया जावे। शेष यथावत।  
वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 02.03.2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान



उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीसागंन  
पीसागंन